एसओपी/ बीपी/ एमजीपीएसवाई_वी_1.0

महात्मा गांधी

प्रवासी सुरक्षा

योजना

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना की रिकार्ड रखने

की प्रणाली (एमआरकेएस)

के बैंकिंग साझेदार

हेतु

मानक परिचालन प्रक्रिया

....

पंजीकरण और योगदान

प्रस्तावना

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए), भारत सरकार (जीओआई) ने हात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) को एक विशेष परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में शुरू किया है जिसका उद्देश्य 17 उत्प्रवासन जांच अपेक्षा (ईसीआर) वाले देशों में अस्थायी कार्य अनुमति पर पांच मिलियन प्रवासी भारतीय कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य ईसीआर पासपोर्टधारी और विदेश प्रवासित अथवा वैध अस्थायी रोजगार/ संविदा वाले वीजा पर विदेश प्रवास करने वाले प्रवासी भारतीय कामगारों को (क) उनकी वापसी और पुनर्वास हेतु बचत करने, (ख) उनके वृद्धावस्था पेंशन के लिए बचत करने (ग) स्वाभाविक मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने, समर्थ बनाने और सहायता करने का है।

ईसीआर पासपोर्ट वाला कोई भी पुरूष या महिला प्रवासी भारतीय जिसकी आयु 18 और 50 के बीच हो और जो विदेश जाने की प्रक्रिया में हो अथवा जो रोजगार/ संविदा वीजा पर पहले ही विदेश प्रवास कर गया हो, इस योजना में शामिल होने का पात्र है। एमपीएसवाई को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारतीय प्रतिभूति एवं विनमय बोर्ड (सेबी) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के अपने संस्थागत संरचना के अनुसार विनियमित उत्पादों का उपयोग करते हुए लागू किया जाता है। तीन साझेदार योजनाएं हैं- (एक) एनपीएस लाइट, (दो) यूटीआई मासिक योजना और (तीन) एलआईसी आम आदमी बीमा योजना।

एमजीपीएसवाई की रिकार्ड रखने वाली प्रणाली (एमआरकेएस) एमजीपीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए मूल इलेक्ट्रॉनिक अवसंरचना प्रदान करने जा रहा है और इसलिए यह इस परियोजना के सफल परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना में शामिल सभी मुख्य पणधारक एमआरकेएस में पंजीकृत होंगे। प्रत्येक मुख्य पणधारक की पहचान एक विशेष पंजीकरण संख्या से होगी। इस दस्तावेज में एमजीपीएसवाई में निधियों की गतिविधि से जुड़े उनके कार्यों के संबंध में बैंकिंग साझेदार की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं।

1. बैंकिंग साझेदार (बीपी)

बैंकिंग साझेदार वे संस्थाएं हैं जिन्हें उपभोक्ता के खाते से यूटीआई और सेवा प्रदाता[1] (एसपी) के सामूहिक खाते में निधियों को अंतरित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। एमजीपीएसवाई के अंतर्गत एसपी को एमओआईए के अनुमोदन के अध्यधीन बीपी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। हलांकि एक बीपी कई एसपी को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है तथापि एक एसपी एक से अधिक बीपी के साथ संबद्ध नहीं हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण पणधारकों की तरह बीपी को एमआरकेएस में पंजीकृत होना आवश्यक है।

1.1 बैंकिंग साझेदार का पंजीकरण

एमआरकेएस में पंजीकृत होने के लिए बीपी को एमओआईए से प्राप्त नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ अनुबंध बीपी-1 में दिए गए पंजीकरण प्रपत्र को विधिवत रूप से भरकर एनएसडीएल के मुम्बई स्थित कार्यालय में भेजना होता है।

पंजीकरण प्रपत्र भेजने से पूर्व बीपी एमआरकेएस के कार्य के लिए अनुपालन अधिकारी और वैकल्पिक अनुपालन अधिकारी के रूप में दो अधिकारियों को नियुक्त करेगा। बैंकिंग साझेदार के संबंध में 'अनुपालन अधिकारी' और 'वैकल्पिक अनुपालन अधिकारी' का तात्पर्य उन लोगों से है जो बैंकिंग साझेदार के रूप में एमजीपीएसवाई हेतु नियमित कार्य की देखरेख करेगें। इन यूजरों को

....

1. सेवा प्रदाता वे कंपनियां हैं जिन पर उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने और एमआरकेएस में उन्हें पंजीकृत कराने की जिम्मेदारी होती है।

एनएसडीएल/ एमओआईए द्वारा जारी कारोबारी नियमों और परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है।

पंजीकरण के चरण:

- बीपी एनएसडीएल द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देगा।
- बीपी इस आवेदन में सभी अनिवार्य ब्यौरा देगा।
- यह आवेदन पत्र बीपी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से मुहर और हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- बीपी एमआरकेएस को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पंजीकरण संबंधी आवेदन देगा।

  क. एमओआईए से प्राप्त नियुक्ति पत्र

  ख. कम से कम एक श्रेणी तीन के डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) का ब्यौरा

  (चित्र)

  बीपी को डीएससी के लिए एक स्क्रीन शॉट ('सामान्य' और 'ब्यौरा' टैब) देना भी आवश्यक होता है।

  डीएससी स्क्रीन शॉट हेतु लिंक का उल्लेख निम्न रूप में किया गया है: इंटरनेट एक्सप्लोरल।

  .... टूल्स

  .... इंटरनेट ऑप्शन

  .... कंटेंट

  .... सर्टिफिकेट्स
- बीपी इस आवेदन प्रपत्र को एनएसडीएल के मुम्बई स्थित कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

<u>संपर्क हेतु पता:</u>

एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, प्रथम तल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम), मुम्बई- 400013

- पंजीकरण प्रपत्र को इसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार ही भरा जाना चाहिए। यदि पंजीकरण प्रपत्र में दिये गए ब्यौरे अपूर्ण है तो इसे निरस्त कर दिया जाएगा। एनएसडीएल एमओआईए और बैंकिंग साझेदार को निरस्त किए गए आवेदन के बारे में आवश्यक सूचना भेजेगा।
- यदि पंजीकरण आवेदन डीएससी हेतु अनुबंध के साथ है तो एनएसडीएल बीपी को एमआरकेएस में पंजीकृत करेगा।

- सफल पंजीकरण होने पर एमआरकेएस एक विशेष बीपी पंजीकरण संख्या सृजित करेगा और इसकी सूचना अलग से सीआरए द्वारा दी जाएगी। बीपी इसका उपयोग एनएसडीए के साथ आगे के संपर्क के लिए करेगा।
- एमआरकेएस बीपी के लिए एमआरकेएस तक पहुंच हेतु डीएससी आधारित यूजर आईडी भी सृजित करेगा।
- एमआरकेएस बीपी के पंजीकृत ईमेल आईडी हेतु डीएससी आधारित यूजर आईडी के साथ पंजीकरण संख्या के संबंध में आवश्यक सूचना भेजेगा।

1.2 बीपी ब्यौरे में संशोधन:

बीपी को पंजीकरण के समय दिए गए ब्यौरे यथा संपर्क ब्यौरा, अनुपालन अधिकारी का ब्यौरा, बैंक ब्यौरा आदि में किसी भी बदलाव के संबंध में बीपी ब्यौरे में बदलाव हेतु लिखित अनुरोध देते हुए एनएसडीएल को अधिसूचित करना होगा। बीपी ब्यौरों में आवश्यक बदलाव करने के पश्चात एमआरकेएस संबंधित एसपी को सूचना भेजेगा।

1.3 बीपी की भूमिका:

बीपी पर निम्नांकित कार्यों को करने की जिम्मेदारी होगी:

- एमआरकेएस से वृद्धि संबंधी पंजीकरण फीड को डाउनलोड करना।
- सभी पीएलआईएफ आईडी हेतु एसआई/ ईसीएस पंजीकरण आंकड़े रखना।
- जब उपभोक्ता अपना शुरूआती अंशदान चेक के माध्यम से करे तो उस चेक की भुनाई करना (इस प्रक्रिया की डिजाइन की जा रही है)।
- उपभोक्ता की बैंक शाखा से एसआई / ईसीएस को पंजीकृत करना।
- एसआई अनुदेशों को संसाधित करना और उपभोक्ता के खाते से आहरित करना।
- एसआई और ईसीएस के माध्यम से उपभोक्ता के बैंक खाते से प्राप्त निधि की पहचान और समेकन करना।
- यूटीआई योजना में उपभोक्ता के अंशदान हेतु एमओआईए द्वारा उप अंशदान की गणना करना।
- टी+1 कारोबारी दिवस (यहां टी बीपी द्वारा निधियों की प्राप्ति की तिथि है) को 11.00 बजे पूर्वाहन तक यूटीआई (एमओआईए का उप अंशदान) और संबंधित एसपी को निधियों का विप्रेषण।
- टी+1 कारोबारी दिवस (यहां टी बीपी द्वारा निधियों की प्राप्ति की तिथि है) को अधिकतम 1.30 बजे अपराहन तक सहमति वाले फाइल फार्मेट के अनुसार एमआरकेएस में निधि पुष्टिकरण फीड (एफसीएफ) को अपलोड करना।

- नियमित अंशदान के लिए उपभोक्ता के खाते से आहरण के लिए एसआई/ ईसीएस अधिदेश के अनुसार अनुदेश देना।
- यदि एफसीएफ में विप्रेषित राशि और उल्लिखित राशि में कोई अंतर हो तो, बीपी को निम्नलिखित में किसी एक को करना होता है-
    - एफसीएफ को पुन: अपलोड करना और वास्तव में विप्रेषित धन का मिलान करना।
    - एफसीएफ में उल्लिखित निधि से मिलान के लिए निधि को पुन: विप्रेषित करना।

2. एमआरकेएस में बैंकिंग साझेदार द्वारा पालन किए जाने वाले कदम:

2.1 क्रियात्मकता को डाउनलोड करना:

एमआरकेएस में सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद बैंकिंग साझेदार को निम्नलिखित स्वागत स्क्रीन प्राप्त होगा:

(चित्र 1)

पंजीकरण ब्यौरा को डाउनलोड करने के लिए बीपी को चित्र 2 में निम्न रूप से दर्शाए गए अनुसार ''फाइल डाउनलोड'' मेनू के तहत ''उपभोक्ता संबंधी ब्यौरा'' के विकल्प का चयन करना होता है।

(चित्र 2)

यूजर को ''उक्त तिथि से'' और ''उक्त तिथि तक'' में प्रविष्टि कर सर्च पर क्लिक करना होता है। इस तिथि की अवधि 15 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अवधि के दौरान सृजित फाइलों को चित्र 3 में दर्शाए गए अनुसार लाया जाएगा। प्रत्येक फाइल की नामकरण शब्दावली है <एमआईपी संदर्भ संख्या >_<बीपी एंटीटी आईडी >_<सृजन की तिथि> एक्सएमएल।

इस फाइल की स्थिति प्रथम बार डाउनलोड किए जाने के बाद ''डाउनलोड किया हुआ'' के रूप में बदल जाएगा। तथापि, यूजर कई बार इस फाइल को डाउनलोड कर सकता है।

(चित्र 3)

बीपी को चित्र 4 में दर्शाए गए अनुसार .एक्सएमएल फार्मेट में यह डाउनलोड प्राप्त होगा। पूर्ण फाइल फार्मेट संलग्न किया गया है।

(चित्र 4)

डाउनलोड किए गए फाइल में उपभोक्ता से जुड़े एसपी की पंजीकरण संख्या सहित पंजीकृत उपभोक्ता का पूर्ण बैंक और भुगतान ब्यौरा होगा। भुगतान संबंधी ब्यौरों को दो भागों में भी द्विभाजित किया जाएगा, शुरूआती ब्यौरा और नियमित ब्यौरा। बैंकिंग साझेदार को इन ब्यौरों को अपनी प्रणाली में पंजीकृत करने के लिए इस आंकड़ा फीड का इस्तेमाल करना होता है। बाद में इन आंकड़ों को एसआई / ईसीएस लेन देन करने और एनपीएस लाइट हेतु उपभोक्ता के अंशदान को एसपी के समूह खाते में अंतरित करने के लिए उपभोक्ता के संबंध को सुनिश्चित करने के लिए बीपी द्वारा उपयोग किया जाना होता है।

2.2 अपलोड क्रियात्मकता:

एक बार जब बीपी उपभोक्ता के खाते से पैसा प्राप्त कर लेता है तो इसे यूटीआई और एसपी के समूह खाते में अंतरित करना होता है।

- यूटीआई आर एंड आर योजना में उपभोक्ता के अंशदान हेतु एमओआईए की उप अंशदान राशि (जहां कहीं भी लागू हो) को उपभोक्ता के अंशदान के साथ यूटीआई को अंतरित करना होता है।
- बीपी को उपभोक्ता से संबद्ध एसपी की पहचान करनी होती है और एनपीएस लाइट हेतु उपभोक्ता के अंशदान को संबद्ध एसपी समूह खाते में भेजा जाना होता है।

उदाहरण के लिए, यदि बैंकिंग साझेदार को तीन सेवा प्रदाता एसपी1, एसपी2 और एसपी3 के साथ संबद्ध उपभोक्ताओं के लिए निधियां प्राप्त होती है तो बीपी प्रत्येक सेवा प्रदाता के लिए उनके एनपीएस लाइट समूह खाते में समेकित निधि अंतरित करेगा। तथापि, सभी उपभोक्ताओं के लिए यूटीआई के अंशदान को यूटीआई के समूह खाते में सीधे ही भेजा जाता है।

एसपी और यूटीआई में निधि के अंतरण के पश्चात बीपी को मानक फाइल फार्मेट के अनुसार तदनुरूपी यूटीआई के साथ एमआरकेएस के लिए .एक्सएमएल में निधि की पुष्टि संबंधी ब्यौरों को अपलोड करना होता है।

(चित्र)

ब्यौरों को अपलोड करने के लिए बीपी को चित्र 6 में दर्शाए गए अनुसार ''बैंक अपलोड'' मेनू का चयन करना होता है।

(चित्र 5)

एक बार जब बीपी ''बैंक अपलोड'' के अंतर्गत ''अपलोड'' उप मेनू को चयनित करेगा तो नीचे दिए गए अनुसार स्क्रीन प्रकट होगा।

(चित्र 6)

बैंकिंग साझेदार को ''एड फाइल्स'' विकल्प पर क्लिक करना और एमआरकेएस में अपेक्षित फाइल को अपलोड करना होता है।

बीपी निम्नलिखित दर्शाए गए अनुसार ''बैंक अपलोड'' मेनू के तहत ''फाइल की स्थिति दृश्य'' के उप मेनू का चयन करते हुए अपलोड किए गए फाइल की स्थिति की भी जांच कर सकता है।

(चित्र 7)